प्रेस नोट दि0-13.07.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

फिरौती हेतु अपहरण की घटना का मात्र 24 घंटे में खुलासा – अपहृत सकुशल बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

05 लाख की फिरौती के लिए अपहरण करने वाले गिरफ्तार – असलहा, वाहन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में टीमें गठित कर तत्काल सक्रिय की गईं। टीमों द्वारा तकनीकी विश्लेषण, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी एनालिसिस व इनपुट बेस्ड ऑपरेशनल ट्रेसिंग की गई थी।

मुख्य अभियुक्त अनवर द्वारा जान-पहचान का लाभ उठाकर अपहृत को जमीन दिखाने के बहाने लाया गया — फिरौती की मांग न पूरी होने पर गंभीर क्षति पहुँचाने की थी योजना।

थाना कन्धई पुलिस व स्वाट टीम/ सर्विलांस द्वारा अभियुक्त को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत झम्मन का पुरवा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया, साथ ही कब्जे से अपहरण में प्रयुक्त कार, मोटर साइकिल, तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन (विभिन्न IMEI नंबर्स के साथ), सिम कार्ड, तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूर्व नियोजित साजिश के तहत फिरौती हेतु अपहरण की घटना को अंजाम देने की स्वीकारोक्ति

थाना कन्धई पर एक व्यक्ति के अपहरण व ₹5 लाख फिरौती मांगने की सूचना प्राप्त हुई थी। अपहरणकर्ता द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए धन की मांग की गई थी।

पुलिस की तत्परता, समन्वय व तकनीकी दक्षता से बड़ी घटना को समय रहते रोका गया। गिरफ्तार 04 अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी निवासी ग्राम नारायणपुर भुसुण्डी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना कन्धई पर सूचना दी गई थी कि उनके पति दलपति वर्मा जो सुबह 10.00 बजे से गायब है एवं वादिनी के पुत्र के मोबाइल नम्बर पर संदिग्ध फोन आया एवं अज्ञात व्यक्ति द्वारा पैसा माँगा गया था। फोन करने वाले ने बताया कि तुम्हारा पिता मेरे कब्जे में है, 05 लाख रुपये की व्यवस्था कर देना। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/25 धारा 140(1) बीएनएस बनाम मोबाइल नं0- , नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में उक्त व्यक्ति व अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र बरामदगी/ गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमें व स्वाट /सर्विलांस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज एवं खुफिया सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश जा रही थी। साथ ही, उक्त घटना से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु संदिग्ध स्थलों पर सघन चेकिंग व तलाशी अभियान भी चलाया गया।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना कन्धई प्रभारी निरीक्षक गुलाबचन्द्र सोनकर मय

हमराह व स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 दिनेश सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी एनालिसिस और इनपुट बेस्ड ऑपरेशनल ट्रेसिंग के माध्यम से थाना कंधई में पंजीकृत मु0अ0स0 163/25 धारा 140(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 352, 351(2) व (3), 127(2), 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 04 अभियुक्तों, 01.अनवर पुत्र तजम्मुल हुसैन निवासी कोर्रा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़, 02.राम प्रकाश हरिजन उर्फ प्रकाश पुत्र रामलाल निवासी सराय जमुआरी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़, 03.शिव बहादुर मिश्रा पुत्र बलीकरन मिश्रा नि0 सोनई रामपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर, 04. हरिप्रसाद सरोज उर्फ मखन्चु पुत्र रघुवर दयाल नि0 सराय जमुआरी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को मात्र 24 घण्टे के अन्दर थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत झम्मन का पुरवा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, मोटर साइकिल, तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन (विभिन्न IMEI नंबर्स के साथ), सिम कार्ड, तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किये गये।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा-352, 351(2) व (3), 127(2), 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उन्होंने पूर्व नियोजित साजिश के तहत पैसे के लालच में अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। जिसमें उनका एक अन्य साथी लालजी सरोज पुत्र स्व. मातादीन निवासी अर्जुनपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर भी शामिल था, जो फरार है।

मुख्य भूमिका निभाने वाले अभियुक्त अनवर ने अपहृत दलपत वर्मा से जान-पहचान होने का लाभ उठाते हुए उसे जमीन दिखाने के बहाने मोटरसाइकिल (अपाची) से चांदा पट्टी रोड के आसपुर देवसरा तिराहे पर लाया था। जहां अन्य आरोपी पहले से स्विफ्ट डिजायर कार (UP32FD6515) में मौजूद थे। योजना के अनुसार, अपहृत को जबरन कार में बैठाकर उसकी आंखों में सफेद कपड़ा बांध दिया गया, जिससे वह शोर न मचा सके। उसी समय अभियुक्त लालजी सरोज भी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (UP44BN2270) से मौके पर पहुंचा।

इसके उपरांत अभियुक्तगण दलपत को लेकर अमरगढ़ क्षेत्र में चले गए, जहाँ उसे धमका कर अपने मोबाइल से उसके पड़ोसी व परिवारजनों को फोन करवाया गया और ₹5 लाख की फिरौती की मांग की गई। फिरौती की मांग अनवर के मोबाइल नंबर से की गई। पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने बताया कि रकम न मिलने पर अपहृत को गंभीर क्षति पहुँचाने की योजना थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अनवर पुत्र तजम्मुल हुसैन निवासी कोर्रा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़, उम्र- 38 वर्ष।
02. राम प्रकाश हरिजन उर्फ प्रकाश पुत्र रामलाल निवासी सराय जमुआरी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़, उम्र- 30 वर्ष।
03. शिव बहादुर मिश्रा पुत्र बलीकरन मिश्रा नि0 सोनई रामपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर, उम्र- 30 वर्ष।
04. हरिप्रसाद सरोज उर्फ मखन्चु पुत्र रघुवर दयाल नि0 सराय जमुआरी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़, उम्र-40 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01. अपहरण में प्रयुक्त वाहन – स्विफ्ट डिजायर कार, रजिस्ट्रेशन नं0 UP32FD6515
02. 03 अदद मोबाइल फोन
03. एक अदद अवैध देशी तमंचा (315 बोर)
04. एक अदद जिन्दा कारतूस (315 बोर)

05. एक अदद स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, रंग काला, रजिस्ट्रेशन नं0 UP44BN2270
06. एक अदद टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल, रंग सफेद
07. 01 अदद रुमाल
08. एक बैग में मोटे काले रंग के कागज (पैसे के आकार के) प्लास्टिक की पन्नी में रखे हुए
09. अपहृत का मोबाइल फोन
10. अपहृत सकुशल बरामद ।

पुलिस टीम-
पुलिस टीम थाना कंधई- प्रभारी निरीक्षक गुलाबचन्द्र सोनकर मय हमराह, व0उ0नि0 असलम खान, उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह, हे0का0 बद्रीनारायण, का० विकेश मिश्रा का चालक जगजीत सिंह, का0 लोकेश कुमार, का0 बृजभान चौहान, का0 पिन्टू चौहान ।

स्वाट टीम- प्रभारी उ0नि0 दिनेश सिंह मय हमराह हे0का0 धन्नजय राय, हे0का0 मोहितराज यादव, का0 जागीर सिंह, का0 अरविन्द दुबे, का0 श्रीराम सिंह, का0 आशुतोष पाण्डेय, चा० हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान- जनपदवासियों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अपराधिक कृत्य या दबाव/धमकी की सूचना तत्काल पुलिस को दें। अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर व निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखना एवं आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी अपराधी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।

डॉ0 अनिल कुमार
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

मोबाइल चोरी के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी, कब्जे से 11 चोरी के एंड्रॉयड मोबाइल व एक चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत जेठवारा पुलिस को बड़ी सफलता
गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में चोरी की 11 मोबाइलों व एक चोरी की मोटरसाइकिल का खुलासा, पूर्व पंजीकृत अभियोग से कनेक्शन प्रमाणित
थाना जेठवारा पुलिस द्वारा थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गतन खाण्डे का पुरवा तिराहा से मोबाइल चोरी के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी, कब्जे से 11 एंड्रॉयड मोबाइल व चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद
थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम (पौसला) गम्भीरा में एक ही रात्रि में कई मोबाइल चोरी, तहरीर के आधार पर अभियुक्त प्रियांशु पटेल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम (पौसला) गम्भीरा में दिनांक 06/07/2025 को रात्रि में वादी अपनी मोबाइल कम्पनी मेट्रोला तथा दूसरी मोबाइल रेड मी- 11A अपने पास रखकर सोया था । जब मैं सुबह जागा तो वादी के दोनों मोबाइल उसके पास नहीं थे । तो वादी दूसरे मोबाइल से अपने मोबाइल पर फोन किया तो वादी का दोनों नम्बर बन्द बता रहा था ।वादी द्वारा मोबाइल खोजबीन के दौरान पता चला कि उसके गाँव के रहने वाले 03 व्यक्तियों के भी मोबाइल नहीं मिल

रहा है। तब हम सभी लोग मिलकर मोबाइल खोजने लगे, तब पता चला कि हम लोगों की मोबाइल गाँव के प्रियाश पटेल पुत्र सुरेश पटेल ने चुरा लिया है। हम लोगों ने प्रियांशू पटेल को खोजा लेकिन वह घर पर नहीं मिला। गाँव के कई लोगों की मोबाइल फोन प्रियांशू पटेल ने चुरा लिया है। जिसके सं◌ंबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 154/25 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह का0 राजीव यादव व का० पुष्पेन्द्र कुमार, का0 गजेन्द्र यादव, का0 मनीष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 154/25 धारा 303 (2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त प्रियांशू पटेल पुत्र सुरेन्द्र पटेल नि0 ग्राम मड़ना गम्भीरा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थानाक्षेत्र जेठवारा के खाण्डे का पुरवा तिराहा शीशम का पेड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 11 अदद चोरी की एन्ड्राएड मोबाइल बरामद किये गये, जिसमें 05 अदद चोरी की मोबाइल मु0अ0सं0 154/25 धारा 303 (2) बीएनएस से संबंधित है, 01 अदद अपाची मोटरसाइकिल सफेद रंग चोरी का बिना नम्बर प्लेट बरामद किया गया। जिसके सं◌ंबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अपना नाम प्रियांशु पटेल पुत्र सुरेन्द्र पटेल निवासी ग्राम मड़ना गम्भीरा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष बताया तथा जामा तलाशी ली गयी तो पीठ पर टांगे पिट्ठ नीले रंग के बैग से चोरी के कुल 11 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन मिला। उक्त पकड़े गये अभियुक्त ने दिनांक 06.07.2025 को वादी के घर से चोरी गये दो मोबाइल के सम्बन्ध मे पूछा गया तो बताया कि मैने अपने गाँव से कुछ दिन पहले हाल ही में कुछ मोबाइल गांव के 03 अन्य व्यक्तियों के घर से चुराए है।

मोटर वाहन स्वामी के बारे में पूछने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नही दे सका। वाहन स्वामी के परिवार से दूरभाष के माध्यम से वार्ता करने पर बताया गया कि उनकी मोटरसाइकिल दिनांक 21.05.2025 को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ली गयी थी। जिस संबंध में थाना कौन्धियार जनपद प्रयागराज में मु0अ0सं0 87/25 धारा 303 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

मु0अ0सं0 154/25 के वादी मुकदमा लोग उपस्थित थाना आये। जिनसे अपना अपना मोबाइल पहचाने हेतु कहा गया तो बरामदशुदा मोबाइलो में से मुकदमा वादी द्वारा 01. गुलाबी रंग के मोटरोला 02. हल्के हरे रंग के रेडीमी मोबाइल, 03. ओप्पो मोबाइल एन्ड्रायड फोन रंग नीला 04. वीवो कम्पनी 05. कम्पनी रियल मी रंग ब्लैक मोबाइल को बारी बारी से देखकर पहचानकर अपना अपना मोबाइल बता रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
प्रियांशू पटेल पुत्र सुरेन्द्र पटेल नि0 ग्राम मड़ना गम्भीरा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम- उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह का0 राजीव यादव व का० पुष्पेन्द्र कुमार, का0 गजेन्द्र यादव, का0 मनीष कुमार थाना जेठवारा प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्व प्रभावी कार्यवाही जारी

हत्या का प्रयास व धमकी व गाली गलौज के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद

थाना दिलीपपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत चौखडा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत श्रीनाथपुर निवासी वादी के भाई व भतीजा को आरोपीगणों द्वारा पुरानी रंजिश के कारण एक राय होकर गाली- गलौज, धमकी व लाठी डंडों से मार पीट कर घायल करने के संबंध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार दिनांक-14.04.2025 को पर थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0-60/25 धारा-115 (2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री शत्रुघ्न वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह म0उ0नि0 सारिका का० राजेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना दिलीपपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0-60/25 धारा-115 (2), 352, 351(3), 324(5),109(1) बीएनएस थाना दिलीपपुर से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त मो0 कासिम खान पुत्र आबाद अली निवासी ग्राम श्रीनाथपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र दिलीपपुर के चौखडा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी को थाना क्षेत्र के सराय नानकार मे स्थित सोसायटी के खण्डहर से बरामद किया गया।

अभियोग उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा-324(5),109(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मैने व मेरे परिवार वालो ने मिल कर अपने ही गाँव के वादी के परिजनों को मारा पीटा था। मार पीट की घटना बाद आस पडोस के लोगो को आते देख मैने घटना मे प्रयुक्त लाठी को सराय नानकार मे स्थित सोसायटी के खण्डहर मे फेक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मो0 कासिम खान पुत्र आबाद अली निवासी ग्राम श्रीनाथपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह म0उ0नि0 सारिका का० राजेश कुमार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू के उ0नि0 सुरेश यादव मय हमराह का० आदित्य मिश्रा के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान मु0नं0 824/ 22 धारा 302 भादवि थाना को0नगर से संबंधित वारण्टी सुरेश पाल पुत्र जगदेव पाल निवासी ग्राम लोहंगपट्टी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सुरेश पाल पुत्र जगदेव पाल निवासी ग्राम लोहंगपट्टी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सुरेश यादव मय हमराह का० आदित्य मिश्रा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धई के उ0नि0 पवन यादव मय हमराह का0 अभिनव के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान मु0न0 206/21 केस न0 14672/21 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना कन्धई से संबंधित वारण्टी चन्द्रशेखर तिवारी पुत्र राजाराम तिवारी नि0 ग्राम सहसपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. चन्द्रशेखर तिवारी पुत्र राजाराम तिवारी नि0 ग्राम सहसपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 पवन यादव मय हमराह का0 अभिनव थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा के उ0नि0 अमित वर्मा मय उ0नि0 विनोद यादव मय हमराह हे0का0 रामदयाल, का0 शैलेष चौहान के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान अ0सं0 310/15 धारा 363, 366 भादवि थाना जेठवारा से संबंधित एक नफर वारण्टी संजय पुत्र रामआसरे निवासी बुआपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संजय पुत्र रामआसरे निवासी बुआपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित वर्मा मय उ0नि0 विनोद यादव मय हमराह हे0का0 रामदयाल, का0 शैलेष चौहान थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।